

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी - रामरख मीना (आर.ए.एस.)



प्रकरण संख्या -209/2016

1. बूटासिंह 2.मलकीतसिंह 3. बलवीरसिंह 4. गुरचरणसिंह 5. नूपासिंह उर्फ अनूपसिंह पिसरान किशनसिंह जाति जटसिख निवासीगण सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादीगण

बनाम

1. गुरजंटसिंह 2. जगरामसिंह पिसरान मेलासिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ 3. हरवंशकौर पुत्री मलसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह 4. सर्वजीतकौर पुत्री दर्शनसिंह 5.सरजीतकौर पत्नी दर्शनसिंह 6.कौरसिंह 7. अमरसिंह पिसरान नन्दसिंह 8.जगतारसिंह 9.लाभ सिंह पिसरान शेरसिंह 10. चरणजीतकौर पत्नी गागसिंह 11. मेलासिंह पुत्रा मलसिंह 12.जगजीतसिंह पुत्र नन्दसिंह 13.चन्दसिंह पुत्र सजनसिंह 14.नरसिंह 15. सुखदेवसिंह 16.धन्नासिंह 17. बठलसिंह पिसरान अमरसिंह 18.महासिंह पुत्र ईशरसिंह 19.रघुवीरसिंह 20.धीरासिंह 21. बोड़सिंह पिसरान गुरदयालसिंह 22.जगविन्द्रसिंह पुत्र अवतारसिंह जाति जटसिख निवासी ढोलनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) 23. लालसिंह 24. वरयामसिंह पिसरान मुकंदसिंह 25. ईसरसिंह 26. हरीसिंह पिसरान नारायणसिंह 27.जीतसिंह 28. मंगलसिंह 29.प्रीतमसिंह 30. सोहनसिंह पिसरान गजनसिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ 31. अरविन्द्रसिंह 32.अरुण कुमार पिसरान सोम प्रकाश 33.सोमप्रकाश पुत्र जगमाल 34.रामकुमार 35.रणवीर 36. कृष्ण कुमार पिसरान काशीराम समस्त जाति जाट निवासीगण नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ 37.राष्ट्रपति भारत सरकार, जरिये जिला कलक्टर हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ 38. तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया



यह राजस्व वाद आज वारंते इनफिराल कतई संवरु हमार बहाजरी श्री जसवीरसिंह वर्मा एडवोकेट मिन जामिन मुदई श्री विशम्बर तंवर एडवोकेट एवं श्री रामनिवास बेदी एडवोकेट मिन जानिब मुदायला व राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 38 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर एवं तहसीलदार संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 31 ता 33 डिग्री किया जाता है कि वाद-पत्र की चरण सं. 4 में उल्लेखितानुसार कृषि भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक रिकार्ड नामान्तरण सं. 10 के अनुसार दुरुस्ती की जाकर चक 5 के.एस.डी. की चालू जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता सं. 65/54 लालसिंह पुत्र मुकंदसिंह के नाम दर्ज आराजी में से 0.253 है. आराजी कम की जाकर मुताबिक घरु विभाजन वादी सं. 2 व 3 के नाम ब.हि.ब. दर्ज की जावे। चक 5 के.एस.डी. में मुताबिक जमाबंदी संवत् 2046 के खाता सं. 35/32 में दर्ज नामान्तरण 63 की रूह से रिकार्ड में दुरुस्ती की जाकर चक 5 के.एस.डी. की चालू जमाबंदी 2070-73 के खाता सं. 53/39 में वादीगण के नाम 1.282 है. कृषि भूमि ब.हि.ब. दर्ज की जावे। मुताबिक घरु विभाजन उक्त खाता में वादी सं. 1 1.322 है. का, वादी सं. 2 1.576 है. का, वादी सं. 3 1.576 है. का, वादी सं. 4 0.333 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार कृषि भूमि वादी सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज की जावे तथा वादी सं. 5 का नाम खाता से कलमजन किया जावे। चक 2 के.एस.डी. जमाबंदी संवत् 2047 के खाता सं. 60/59 की रूह से चालू जमाबंदी चक 2 के. एस.डी. संवत् 2071-74 के खाता सं. 27/24,27 में ई.नं. 565 के अनुसार वादीगण के नाम दर्ज कुल खाता में ब.हि.ब. 1/3 हि. दर 39/100 हि. के स्थान पर दुरुस्ती की जाकर ब.हि.ब. 1/3 हि. दर 39/100 दर 12.425 हि. रिकार्ड दुरुस्त कर दर्ज किया जावे। मुताबिक घरु विभाजन उक्त खाता की कृषि भूमि में वादी सं.4 1.285 है. व वादी सं.5 0.844 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार वादी सं. 4 व 5 के नाम कृषि भूमि दर्ज की जाकर वादी सं. 1 ता 3 का नाम खाता से कलमजन किया जावे। उक्त खाता में हरबंसकौर पुत्री मलसिंह, सर्वजीतकौर पुत्री दर्शनसिंह, सरजीतकौर पत्नी दर्शनसिंह का ब.हि.ब. 0.

प.नं. 154/123 मु.नं.26 कि.नं. 12-13/253 है.प्र.
प.नं. 154/125 मु.नं. 41 कि.नं. 1-10/253 है.प्र.
11/0.058 है.



(घ) वादी सं.4 गुरचरणसिंह पुत्र किशनसिंह के हिस्सा व
आधिपत्य की भूमि चक 2 के.एस.डी. जमाबंदी संवत्
2071-74 खाता सं. 27/24,27

प.नं.164/118 मु.नं.53 कि.नं.11-20-21/253 है.प्र.
प.नं.164/119 मु.नं.58 कि.नं.1/0.084 है., 2/253 है.
9/0.147 है., 10/0.042 है.

कुल 1.285 है.

(ङ) वादी सं.5 नूपासिंह उर्फ अनूपसिंह पुत्र किशनसिंह के हिस्सा
व आधिपत्य की भूमि चक 2 के.एस.डी. जमाबंदी संवत्
2071-74 खाता सं. 27/24,27

प.नं.164/119 मु.नं.58 कि.नं.9/0.106 है.,
10/0.042 है.

प.नं.165/122 मु.नं. 76 कि.नं. 2-9/253 है, 18/0.190

कुल 0.844 है.

चक 5 के.एस.डी. जमाबंदी संवत् 2070-73 खाता सं. 53/39
प.नं. 154/125 मु.नं.41 कि.नं. 12/0.196 है., 19/0.137 है.
0.333 है.

(च) प्रतिवादी संख्या 31 अरविन्द कुमार, प्रतिवादी सं.32
अरुणकुमार पिसरान सोमप्रकाश के हिस्सा व आधिपत्य की
भूमि चक 5 के.एस.डी. जमाबंदी संवत् 2070-73 खाता सं.
53/39

प.नं.157/122 मु.नं.25 कि.नं. 2,3,7 ता13/253 है
प्र. 14/0.063 है.

कुल 2.340 है.

(छ) प्रति.संख्या 33 सोमप्रकाश पुत्र जगमाल के हिस्सा व
आधिपत्य की भूमि चक 5 के.एस.डी. जमाबंदी संवत्
2070-73 खाता सं. 53/39

प.नं.157 / 122 मु.नं.25 कि.नं.14 / .190,17से20 / .253 है.प्र.

कुल 1.202 है.

उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो ऋण चुकता प्रमाण-पत्र पेश होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 21/12/20 को डिग्री जारी की गयी।

(रामरख मीना)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
संगरिया

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के स्टाम्प		
4.....रूपये पररूपये पर लीडर की फीस		
5. साक्षियों के लिए निर्वाह -व्यय		
6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़

